

**प्रेस नोट बिजनौर पुलिस दिनांक-12.09.2020**

**थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड कर 02 अभि0गण 37 बने-अधबने शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार।**

मु0अ0सं0-238 / 2020

धारा- 5 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम- गौरव व राजेश

दिनांक घटना-11.09.2020

समय-20:30 बजे

घटना स्थल-शमशान घाट जंगल ग्राम मौहम्मद पुर देवमल

दिनांक गि0/ब0-12.09.2020

समय-00:30 बजे

गि0/ब0 स्थल-शमशान घाट जंगल ग्राम मौहम्मद पुर देवमल

पुर देवमल

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1-गौरव पुत्र राजकुमार जाट निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मण्डावर, जनपद बिजनौर

2-राजेश पुत्र झबरे सैनी निवासी ग्राम टीप थाना मण्डावर, जनपद बिजनौर



## बरामदगी का विवरण—

- 1—06 अदद तमंचे 315 बोर
- 2—02 अदद तमंचे 12 बोर
- 3—06 कारतूस जिन्दा 315 बोर
- 4—05 खोखा कारतूस 315 बोर
- 5—एक सफेद रंग के कट्टे में (29 अधबने शस्त्र) व शस्त्र बनाने के उपकरण

## पंजीकृत अभियोग का विवरण—

—मु0अ0सं0 238 / 2020 धारा 5 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम गौरव व राजेश

## गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0—229 / 2020 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम चालानी थाना हल्दौर बनाम गौरव

## घटना का संक्षिप्त विवरण—

आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में अवैध शस्त्रों की बरामदगी व अवैध शस्त्र बनाने में सल्लिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना मण्डावर पुलिस द्वारा दिनांक 11/12.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्तगण 1—गौरव 2—राजेश** को अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री तथा 37 बने-अधबने शस्त्र सहित शमशान घाट जंगल ग्राम मौहम्मद पुर देवमल से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में **थाना मण्डावर पर पर मु0अ0सं0—238 / 2020 धारा 5 / 25 शस्त्र अधिनियम** पंजीकृत किया गया।

## पूछताछ का विवरण—

अभियुक्त गौरव ने बताया कि पूर्व में थाना हल्दौर से 3 / 25 शस्त्र अधिनियम में दिनांक 28.08.2020 को जेल गया था। जेल से आने के बाद मुझे राजेश मिला, हम दोनों मिलकर जल्दी से पैसे कमाने के इरादे से अवैध शस्त्र निर्माण का कार्य करते हैं और निर्माण करने के बाद जनता के व्यक्तियों को 5,000 / रुपये प्रति तमंचा बेचते हैं और अवैध तमंचों का निर्माण कर उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं।

## गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण—

1—प्रभारी निरीक्षक श्री लव सिरोही 2—व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह 3—उ0नि0 श्री पवनवीर सिंह 4—उ0नि0 श्री शहजाद अली 5—का0 835 पीयूष खोखर 6—का0 578 सचिन राठी 7—का0 1043 सचिन मलिक 8—का0 1234 सरवर अली 9—का0 2014 नितिन कुमार थाना मण्डावर, जनपद बिजनौर।

**थाना मण्डावली—** अवगत कराना है कि थाना मण्डावली पुलिस द्वारा आज दिनांक 12.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रफीक कुरेशी पुत्र स्व रईश कुरेशी निवासी मोहल्ला पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 250 कि0ग्राम गाय के मांस व काटने के उपकरण सहित ग्राम काठपुर के जंगल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के 05 अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। उक्त सम्बन्ध में थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 180 / 2020 धारा 3 / 5 / 8 सीएस अधिनियम व मु0अ0सं0 181 / 2020 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के बारे में संबंधित थाना नागल व नजीबाबाद से जानकारी की जा रही है। फरार अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।



**थाना मण्डावर:-** आज दिनांक 12.09.2020 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभि० ओमपाल पुत्र रणजीत सिंह निवासी कोहोरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को 175 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण तथा 200 लीटर लाहन सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा लाहन को नष्ट किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मण्डावर पर मु०अ०सं० 237/20 धारा 60 (2) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।



**थाना मण्डावर:-** आज दिनांक 12.09.2020 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभि० कासिफ पुत्र लड्डन निवासी मौ० काजियान कस्बा व थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मण्डावर पर मु०अ०सं० 236/20 धारा 60 (2) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।



**थाना अ०गढः-** आज दिनाँक 12.09.2020 को थाना अ०गढ पुलिस द्वारा थाना अ०गढ पर पंजीकृत मु०अ०सं० 265/20 धारा 427/447/452 भादवि० के वाँछित अभि० प्रवेन्द्र पुत्र तेजपाल निवासी शीरवासुचन्द थाना अ०गढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



**थाना अ०गढः-** आज दिनाँक 12.09.2020 को थाना अ०गढ पुलिस द्वारा थाना अ०गढ पर पंजीकृत मु०अ०सं० 261/20 धारा 304 भादवि० के वाँछित अभि० 1-हरिसिंह, 2-रामसिंह पुत्रगण लल्लू निवासीगण शीरवासुचन्द थाना अ०गढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



**थाना मण्डावली:-** आज दिनांक 12.09.2020 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा अभि० रफीक कुरैशी पुत्र सईद कुरैशी निवासी निवासी मौ० पठानपुरा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गोकशी करते हुये 2.5 कुन्तल गौमांस सहित गिरफ्तार किया गया ।

